न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1359–दो/2006 – विरूध्द – आदेश दिनांक 27–1–2006 पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – – प्रकरण कमांक 521/बी–121/2002–03 अपील

रामशरण पुत्र रामगोपाल नामदेव
निवासी ग्राम ओरछा तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूध्द

1– नाथूराम पुत्र हलके काछी
निवासी ओरछा मोहल्ला तकिया नरिया
तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़
2– रमेश चंद पुत्र हीरालाल जैन
व्दारा फूलचंद कन्छेदीलाल बछरावनी वालों
के मकान में तथा संतोष किराना स्टोर
के वगल में डोडाघाट तालावपुरा ललितपुर
उत्तरप्रदेश ——अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव

अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर

आदेश

(आज दिनांक 19.8.2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 521/बी–121/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–1–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, टीकमगढ़ के

समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) दो व चार के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम ओरछा की भूमि खसरा नंबर 557/1/2 रकबा 4.492 हैक्टर के रकबा 0.700 है. पर वह 1980–81 से कब्जा किये हुआ है किन्तु अनावेदक कमांक–1 पटटाधारी ने इस भूमि का विकय अनावेदक क–2 को बिना सक्षम अनुमति के कर दिया है इसलिये विकय पत्र को शून्य घोषित किया जावे। कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 13 बी 121/2002–03 पंजीबद्व किया एंव वाद जांच पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 20–2–2003 पारित किया तथा आवेदक का दावा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) दो व चार के अंतर्गत नहीं पाये जाने से निरस्त कर दिया।

कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 13 बी 121/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 20–2–2003 के विरूद्व आवेदक ने प्रथम अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 521/बी–121/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–1–2006 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने बहस के दिन बताया कि उनका पक्षकार से कोई संपर्क नहीं है इसलिये उन्हें निगरानी में पक्ष नहीं रखना है। अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरणों के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष आवेदक की ओर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) दो व चार के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया गया है

और कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 13 बी 121/2002--03 में पारित आदेश दिनांक 20--2--2003 से आवेदक का दावा निरस्त किया है अर्थात कलेक्टर न्यायालय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) दो व चार का दावा सुनने हेतु मूल न्यायालय रहा है कलेक्टर के आदेश दिनांक 20--2--2003 के विरूद्व प्रथम अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत हुई है जो आदेश दिनांक 27--1--2006 से निरस्त हुई, जिसके विरूद्व विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत की गई है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)--धारा 44 -- कलेक्टर व्दारा संहिता,1959 की धारा 165 (7)(ख) एंव धारा 182 (2) के अंतर्गत मूल न्यायालय की हैसियत से पारित आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी। आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल में होगी।

स्पष्ट है कि विचाराधीन निगरानी अग्राह्य है, जो न्यायालय में दिनांक 28--7--2006 से दायर होकर निगरानी को अपील में बदलकर सुने जाने की प्रार्थना भी नहीं की गई है और निगरानी को अपील में बदलकर सुने जाने हेतु कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अग्राह्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 521/बी--121/2002--03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27--1--2006 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर